कार्यालय जिला पंचायत धमतरी (छ.ग.)

फोन नं.– 07722-232505, E-mail- ddp.dhamtari@gmail.comE-mai

क्र./4161/पंचा./निर्वा./2025–26 धमतरी, दिनांक 04/12/2025

प्रति,

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य,
   जिला पंचायत धमतरी
2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य,
   जनपद पंचायत धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी,
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी,
4. सरपंच/उपसरपंच/पंच
   ग्राम पंचायत......................................,
   जनपद पंचायत धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी,
   जिला धमतरी (छ.ग.)

विषयः– **पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के काम–काज संचालन के दौरान उनके सगे–संबंधितो के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में।**

संदर्भः– **प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र.559 अटल नगर दि. 23.06.2025।**

––––000––––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो, जिसके माध्यम से पंचायतीराज सस्था में निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के काम काज संचालन के दौरान उनके सगे–संबंधियों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में दिशा–निर्देश पूर्व में प्रसारित किया गया है।

संज्ञान में आया है कि कतिपय जिला/जनपद पंचायत में महिला पंचायत पदाधिकारियों के सगे–संबंधियों/रिश्तेदारों द्वारा संबंधित पंचायत स्तर के कार्यों में हस्तक्षेप/दखलअंदाजी किया जा रहा है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि पंचायत के कामकाज सवालन के .दौरान पंचायत कार्यालय परिसर के भीतर महिला पंचायत पदाधिकारियों को उनके कोई भी सगे सबंधी/रिश्तेदार पंचायत के किसी कार्य में हस्तक्षेप/दखलअंदाजी नहीं करेंगे। किसी विषय पर किसी भी पदाधिकारी/कर्मियों को महिला पंचायत पदाधिकारी की ओर से निर्णय लेकर सुझाव/निर्देश नहीं देंगे अन्यथा संबंधित महिला पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पचायतराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

साथ ही कृपया सभी पंचायत पदाधिकारीगण द्वारा उपरोक्त निर्देशों के पालन किया जाये।

संलग्न – शासन का पत्र।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी

पृ.क्र./4162/पंचा./निर्वा./2025–26 धमतरी, दिनांक 04/12/2025

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, पंचायत संचालनालय विकास भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला धमतरी छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. वरि.आंत.लेखा.परी.एवं करारोपण अधिकारी, जनपद पंचायत धमतरी/कुरूद/मगरलोंड/नगरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. सचिव, ग्राम पंचायत....................... धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/2025/559 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 23/06/2025

कार्यालय जिला पंचायत धमतरी (छत्तीसगढ़) 3745 17/11/25 14 NOV 2025 शाखा पंचायत मु. का. अ.

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत – छत्तीसगढ़
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जनपद पंचायत – छत्तीसगढ़

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के काम–काज संचालन के दौरान उनके सगे–संबंधियों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में।

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/पंचा./विविध/2010/1009, रायपुर दिनांक 26.05.2010

—::00::—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के काम–काज संचालन के दौरान उनके सगे–संबंधियों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में दिशा–निर्देश पूर्व में प्रसारित किया गया है।

संज्ञान में आया है कि कतिपय जिला/जनपद पंचायतों में महिला पंचायत पदाधिकारियों के सगे–संबंधियों/रिश्तेदारों द्वारा संबंधित पंचायत स्तर के कार्यों में हस्तक्षेप/दखलअंदाजी किया जा रहा है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि पंचायत के कामकाज संचालन के दौरान पंचायत कार्यालय परिसर के भीतर महिला पंचायत पदाधिकारियों को उनके कोई भी सगे संबंधी/रिश्तेदार पंचायत के किसी कार्य में हस्तक्षेप/दखलअंदाजी नहीं करेंगे। किसी विषय पर किसी भी पदाधिकारी/कर्मियों को महिला पंचायत पदाधिकारी की ओर से निर्णय लेकर सुझाव/ निर्देश नहीं देंगे, अन्यथा संबंधित महिला पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार कृपया सभी पंचायत पदाधिकारीगणों को उपरोक्त निर्देशों के पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सूचित किया जावे।

(निहारिका सिंह बारिक)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Deputy Director, Panchayat
Distt. Dhamtari (C.G.)

कार्यालय उप संचालक पंचायत जिला धमतरी (छ.ग.) 1862 24/11/25

पंचा. निर्वा

le No. GENCOR/4169/2025-PANCHAYAT AND RURAL DEV SECTION (Computer No. 59624)

पृ.क्रमांक / 2025 / 560   अटल नगर नवा रायपुर दिनांक - 23/06/2025

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त उप संचालक, पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

पत्र क्रमांक/पंचा./विविध/2010/1009 रायपुर, दिनांक 26/05/10

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, छत्तीसगढ़

2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय :- पंचायतीराज संस्थाओं में पदस्थ निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के काम-काज संचालन के दौरान उनके सगे संबंधियों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में।

—00—

विषय संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्रामीण पंचायतों में महिला पंचायत पदाधिकारियों की भागीदारी हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान निर्वाचन में प्राप्त परिणाम से लगभग 55-60 प्रतिशत महिलाएं चुनकर पदासीन है। निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियो को पंचायतों के काम - काज यथा नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण आदि में स्वयं निर्णय लेने के संबंध में सक्षम बनाने के लिये भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क. एमओपीआर/एएस(जेएमएस)/पीएस/01/2009 दिनांक 9-11-2009 के द्वारा यह लेख किया गया है कि-

2. पंचायत के कामकाज संचालन के दौरान पंचायत कार्यालय परिसर के भीतर महिला पंचायत पदाधिकारियों को उनके कोई भी सगे संबंधी/रिश्तेदार पंचायत के किसी कार्य में हस्तक्षेप/दखलअंदाजी नहीं करेंगे। किसी विषय पर किसी भी पदाधिकारी/कर्मियों को महिला पंचायत पदाधिकारी की ओर से निर्णय लेकर सुझाव/निर्देश नहीं देंगे, अन्यथा संबंधित महिला पंचायत पदाधिकारियों के विरूद्ध पंचायतराज अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3. कृपया सभी पंचायत पदाधिकारीगणों को उपरोक्त निर्देशों के पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सूचित किया जावे।

(सरजियस मिन्ज) 11/5/10
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

File No. GENCOR-35/5447/2025-PANCHAYAT AND RURAL DEV SECTION (Computer No. 157641)
Scanned with CamSca
Generated from eOffice by PUSHPENDRA SINGH KANWAR, AG3-04, AG-3(DIRECTORATE OF PANCHAYAT), PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT on 14/11/2025 03:36